(41) (26) 26

ई–मेल 26/28
संख्या:–6491/6–77(2018–19)

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनांकः 08 मार्च, 2019.

विषय– उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत लोक सेवाओं एवं पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–252/18(1)/2019–03(3)/2019, दिनांक 28 फरवरी, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो परिषद् एवं समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित एवं अन्य के साथ मण्डलायुक्तों को भी पृष्ठांकित है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–29/36(3)2019/03(1)2019, दिनांक 05 फरवरी, 2019 एवं शासनादेशानुसार उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत लोक सेवाओं एवं पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किये जाने के संबंध में पात्रता/आय प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी०एम० मिश्र)
आयुक्त एवं सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि–आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–गार्ड फाईल।

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद्

1420/दि0-05-03-19

प्रेषक,

संख्या–252/XVIII(1)/2019-03(3)/2019

26/27

DRC(LS)

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून

श्री नैथानी
6/3/19
DRC(W)

राजस्व अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 28 फरवरी, 2019

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत लोक सेवाओं एवं पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2019 में निहित प्राविधानान्तर्गत लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्यता सम्बन्धी पात्र आवेदनकर्ताओं के प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2019 के अनुपालन में उक्त अध्यादेश की धारा–3 के अन्तर्गत 10 प्रतिशत आरक्षण के लाभ की अनुमन्यता हेतु पात्र आवेदनकर्ताओं को निम्न शर्तों के अधीन पात्रता हेतु आय प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें:–

(1) ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति जिनके परिवारों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹ 8.00 लाख से कम हो, आरक्षण के इस प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में चिन्हत हैं। परिवार की आय में सभी स्रोतों से अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से प्राप्त आय सम्मिलित होगी। उक्त आय लाभार्थी द्वारा आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी;

परन्तु यह कि जिनके पास या जिनके परिवार के पास निम्नलिखित सम्पत्ति में से कोई भी सम्पत्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के पात्र नहीं होंगे:–

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक,
(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, निर्मित क्षेत्रफल।
(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड,
(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक आवासीय भूखण्ड,

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)

संख्या– (1)/XVIII(1)/2019-03(3)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, सचिव (प्रभारी), राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढवाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(वी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव

Genral-Letter.doc

26/26

क्रम संख्या–24

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, मंगलवार, 05 फरवरी, 2019 ई०

माघ 16, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 29/XXXVI (3)/2019/03(1)/2019

देहरादून, 05 फरवरी, 2019

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) के अधीन माननीय राज्यपाल ने "उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2019" पर दिनांक 05 फरवरी, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्याः 01, वर्ष–2019 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

26/25

उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2019

{उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 01 वर्ष 2019}

{भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित}

"भारत का संविधान" का अनुच्छेद 15(6) एवं अनुच्छेद 16(6) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2019

अध्यादेश

चूँकि, उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है; अतएव, अब राज्यपाल "भारत का संवधिान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) आध्यादेश, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2\. इस अध्यादेश में –

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" से संविधान का अनुच्छेद 15(6) एवं अनुच्छेद 16(6) में विनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभिप्रेत है;

(ग) "परिवार" से आरक्षण चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता–पिता, 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई–बहनों के साथ–साथ उनके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे सम्मिलित हैं, अभिप्रेत हैं;

(घ) "लोक सेवाओं और पदों" से राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवा और पद अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें और पद भी सम्मिलित हैं :–

(एक) स्थानीय प्राधिकारी,

(दो) उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (अ) जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अश पूँजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तराखण्ड राज्य के अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या

26/24

कोई निगम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूँजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(चार) भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है,

(ङ) "भर्ती का वर्ष" से किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसे रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये, अभिप्रेत है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में आरक्षण

3. (1) लोक सेवाओं और पदों में, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (4) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, दस प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा।

(2) (क) लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में उत्तराखण्ड राज्य के उन स्थायी निवासियों को आरक्षण प्राप्त होगा, जो अनुसूचित जतियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति जिनके परिवारों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹ 8.00 लाख से कम हो, आरक्षण के इस प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में चिन्हित हैं। परिवार की आय में सभी स्रोतों से अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से प्राप्त आय सम्मिलित होगी। उक्त आय लाभार्थी द्वारा आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी;

परन्तु यह कि जिनके पास या जिनके परिवार के पास निम्नलिखित सम्पत्ति में से कोई भी सम्पत्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के पात्र नहीं होंगे :–

26/23

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक,

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक,

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड,

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड,

(3) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाये तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती, की जायेगी।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत् रूप से लागू रहेगा, जब तक वह समाप्त न हो जाये।

(5) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसे वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

अध्यादेश के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति

4. (1) राज्य सरकार, इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

शास्ति

5. (1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अध्यादेश के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह, दोषसिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

26/22

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

अभिलेख मांगने की शक्ति

6. यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह आता है कि धारा 3 की उपधारा (1) उल्लिखित वर्गों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अध्यादेश के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकेगी और ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

प्रमाण–पत्र

7. इस अध्यादेश के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रमाण–पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा;

परन्तु यह कि आय और सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र तहसीलदार से अन्यून अधिकारी द्वारा सभी प्रासंगिक नियमों का सावधानी पूर्वक सत्यापन करने के बाद उचित प्रकिया का पालन करते हुए जारी किया जायेगा।

कठिनाईयों को दूर करना

8. यदि इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

9. इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

आदेशों इत्यादि का रखा जाना

10. धारा 3 की उपधारा (3), धारा 4 और धारा 8 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल

के समक्ष रखा जायेगा और उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे उत्तराखण्ड के किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

अपवाद 11 (1) इस अध्यादेश के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे;

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी, जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती;

(एक) जहाँ केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर; या

(दो) जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,

(2) इस अध्यादेश के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 तथा भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी) के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन नियमावली, 2018 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

नियम बनाने की शक्ति 12. राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

आज्ञा से,

डी०पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 01 विधायी/91–2019–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।